संख्या : 16/2022/बी-1-558/दस-2022-एम-39/2019

प्रेषक,

संजय कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 15 जुलाई, 2022

विषय : केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश के उपयोग के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-**F.No.1/(33)/PFMS/2022**, दिनाँक 07 जुलाई, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह निर्देश दिये गये हैं कि केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में दिनाँक 31 मार्च, 2022 अथवा उसके पूर्व प्राप्त केन्द्रांश को दिनाँक 20 जुलाई, 2022 तक सिंगल नोडल एकाउण्ट में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करें अन्यथा अस्थानान्तरित केन्द्रांश भारत सरकार के समेकित निधि में आर.बी.आई. एडवाईस के माध्यम से जमा किया जाना होगा ।

2- उपरोक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि वे दिनाँक 31 मार्च, 2022 अथवा उसके पूर्व प्राप्त केन्द्रांश को सम्बन्धित सिंगल नोडल एकाउण्ट में दिनाँक 20 जुलाई, 2022 तक जमा कराये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

संजय कुमार
सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 16/2022/बी-1-558(1)/दस-2022-एम-39/2019, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभागों से सम्बन्धित विशेष सचिवों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उनसे सम्बन्धित विभागों से उक्त के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करवायें ।
2- निजी सचिव, अपर मुखय सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
3- निजी सचिव, सचिव, वित्त (श्री संजय कुमार) ।
4- निजी सचिव, सचिव, वित्त (श्री रिज़वी) ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं0. 1351/ARSF/सामा0/2022

No. 6009 /MS/GI/2022

F. No. 1/(33)/PFMS/2022
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block,
New Delhi, 7th July, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Release of funds under the Centrally Sponsored Schemes (CSS) and monitoring utilization of the funds released – Guidelines regarding return of the Central share released to the State treasury but not released further to the SNA account within the stipulated time frame.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 1(33)PFMS/2022 dated 20th May, 2022 on the above mentioned subject.

2. In view of the references received from Ministries/Departments and from the State Governments, a onetime relaxation from the DoE's instructions issued vide OM dated 20th May, 2022 is granted to the States/UTs to transfer the central share received on or before 31st March, 2022 under a CSS to the SNA account by 20th July, 2022 failing which such central share shall be returned to the CFI by the State Government through RBI advice.

3. This issues with the approval of competent authority.

A.C.S. वि0स0(AD)

Prateek K Singh 7/7/22

(Prateek Kumar Singh)
Director
Tel. No. 23094961

13/7/2022

To 11.07.2022

1. Secretaries of all Departments/Ministries, Government of India
2. Chief Secretaries of all States/UTs with Legislature
3. Financial Advisers of all Ministries of Government of India
4. Addl. CGA (PFMS), O/o CGA, INA, New Delhi

15.7.2022